Continuation Note Sheet

07.02.2024

वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील अप्रार्थी संख्या 2 व 3 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. पेश किया गया एवम् अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब ही बहस मान कर प्रकरण का निर्णय किये जाने का निवेदन किया गया। वकील अप्राथी संख्या 1 द्वारा पूर्व पेशी पर बहस समाहित की जा चुकी है। वकील प्रार्थी द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत करने हेतु पुनः समय चाहा गया। वकील अप्रार्थी द्वारा प्रकरण में और तारीख दिये जाने बाबत ऐतराज जाहिर किया गया एवम् प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए का निर्णय आज की पेशी में किये जाने का निवेदन किया गया। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण में कोई कार्यवाही ना कर आगामी तारीख पेशी निश्चित किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। वकील प्रार्थी को बहस हेतु पर्याप्त अवसर दिये जा चुके हैं। वकील प्रार्थी द्वारा बहस न कर समय चाहा गया है। वकील प्रार्थी द्वारा बहस नहीं करने पर वकील अप्रार्थगण की बहस सुनी गई। वकील अप्रार्थी 1 की मुख्य बहस यह रही कि प्रार्थीगण ने वादपत्र में केवल चक 2 डी छोटी की कृषि भूमि का वर्णत करते हुए दावा पेश किया है इसके अलावा दूसरे चको में स्थित कृषि भूमि का वाद पत्र में कही पर उल्लेख नही किया है जबकि प्रार्थीगण/ वादीगण ने पूर्व में घरेलू बंटवारानुसार अपने नाम से अपना–अपना हिस्सा अन्यत्र चक 3 डी छोटी एवं 4 डी छोटी में प्राप्त किया हुआ है इस प्रकार से जब एक बार घरेलू बंटवारा में हिस्सा लेने के पश्चात पिता के हिस्से में बंटवारे में आया रकबा जो अप्रार्थी सं. 1 का स्वयंअर्जित रकबा है जिसमें से प्रार्थीगण किसी भी प्रकार से हिस्सा पाने का अधिकारी नही है। प्रार्थीगण ने पूर्व में घरेलू बंटवारानुसार अपने नाम से अपना–अपना हिस्सा अन्यत्र चक 3 डी छोटी एवं 4 डी छोटी में प्राप्त किया हुआ है इस प्रकार से जब एक बार घरेलू बंटवारा में हिस्सा लेने के पश्चात पिता के हिस्से में बंटवारे में आया रकबा जो अप्रार्थी सं. 1 का स्वयंअर्जित रकबा है जिसमें से प्रार्थीगण किसी भी प्रकार से हिस्सा पाने का अधिकारी नही है। प्रार्थीगण ने रजिस्टर्ड दस्तावेज को चेलेन्ज करते हुए दावा पेश किया है जिसके सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय न होकर सिविल न्यायालय का है इसलिए इसलिये प्रार्थना पत्र काबिले खारिज है। प्रतिवादी सं. 1 ने अपनी स्वेच्छा एवं रजामन्दी से अपने बंटवारे में आई स्वयंअर्जित कृषि भूमि में से अलग–2 दस्तावेज उपहारपत्र रजिस्टर्ड करवाकर भूमि उपहार में दी है जिसका प्रतिवादी संख्या–1 हर प्रकार से हस्तांतरण करने का अधिकारी है वादीगण ने वादपत्र में रजिस्टर्ड उपहारपत्र का जिक करते हुए प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की है रजिस्टर्ड दस्तावेज होने के कारण राजस्व न्यायालय से किसी प्रकार से अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही है ऐसी सूरत में प्रार्थनापत्र काबिले खारिज है। वकील अप्रार्थी द्वारा न्यायिक दृष्टान्त– RRT 2018-19(SUPP.) PG 69, RRT 2022-(2) PG 807, RRT 2022-(2) PG 1323, RRT 2021-(2) PG 817 पेश किये।

बहस पर [illegible] दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया। प्रार्थना पत्र [illegible] हेतु निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं पर विचार किया जाता है। (1) प्रथम [illegible] मामला (2) सुविधा का सन्तुलन (3) अपूर्णीय क्षति। [illegible] से स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 रिकॉर्डेड खातेदार है। इस लिए प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के [illegible] है। अप्रार्थी संख्या 1 वाद ग्रस्त आराजी का एकल स्वामी होने से अप्रार्थी संख्या 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.04.27 12:50:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

Continuation Note Sheet

अपनी भूमि को हस्तान्तरित करने अथवा बैचान करने के अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता इस प्रकरण सुविधा का सन्तुलन अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में है। अप्रार्थी संख्या 1 रिकॉर्डेड खातेदार है एवम् रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने से अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी। इस प्रकार तीनों बिन्दु अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होते हैं। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली दायरा नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील जाब्ता संलग्न मूल वाद मुकदमा संख्या 127/2023 बअनवान सुरजा राम बनाम गोपाल उर्फ राम गोपाल रहे।

(संजय कुमार)
उपखण्ड अधिकारी,
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.04.27 12:50:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner